उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक 17069/यू.पी. रेरा/नोटिस / 2024-25 दिनांकः18 दिसम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की बैठक में अनुशासन बनाये रखने एवं प्रक्रिया सुचारु रूप से चले इसके सम्बन्ध में समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गय हैं। उक्त के क्रम में निम्नवत् निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः-

1. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होने वाले सभी पक्षकार उपयुक्त परिधान में उपस्थित होंगे एवं अपना पक्ष शिष्टता के साथ रखेंगे।
2. कतिपय पक्षकार दो से अधिक डिवाइस एवं लॉगिन से जुड़ते है, जिससे बार-बार लॉबी में 'इन' करना पड़ता है। अलग-अलग स्थानों से जुड़े होने एवं आपस में समन्वय न होने के कारण उनका पक्ष भी सही तरह से प्रस्तुत नहीं हो पाता। इस कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी एक पक्षकार के प्रोमोटर एवं उनके सहयोग के लिए उपस्थित होने वाले प्रोफेशनल अलग-अलग स्थानों पर होने की दशा में ही अधिकतम दो डिवाइस से लॉगिन करेंगे।
3. कतिपय प्रकरणों में यह देखा गया है कि एक ही स्थान से एक से अधिक डिवाइसों से जुड़ने पर इको उत्पन्न होती है, जिससे कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है। अतः किसी एक स्थान में एक से अधिक डिवाइस नहीं चलायी जाये।
4. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के समक्ष रेरा अधिनियम के अन्तर्गत किसी परियोजना के प्रोमोटर द्वारा अपने दायित्वों के निर्वाहन से सम्बन्धित कथन किया जाता है एवं कमियाँ दूर करने की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है। अतः प्रोमोटर अनिवार्य रूप से यथासमय उपस्थित रहेंगे। अपने सहयोग के लिए किसी प्रोफेशनल को रख सकते हैं।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा को कृपया अवलोकनार्थ।
2. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. रेरा को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि नोटिस भेजते समय उपर्युक्त बिन्दुओं को नोटिस में सम्मिलित किया जाये।
3. सहायक निदेशक सिस्टम, उ.प्र. रेरा को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव